

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 5(15)नविवि/2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा सुश्री प्रीति सिडाना, वरिष्ठ सहायक की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उनकी सेवायें मूल विभाग में लौटायी गयी थी, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए इनका पदस्थापन यथावत राजस्थान आवासन मण्डल में (प्रतिनियुक्ति पर) किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सीमा शर्मा-1)

उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित कार्मिक को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-तृतीय

Signature valid

RajKaj Ref
6180343



Digitally signed by Seema Sharma
Designation: Deputy Secretary To
Government

Date: 2024.03.16 14:20:03 IST

Reason: Approved